न्यायालय सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी) चितलवाना
पीठासीन अधिकारी – हनुमाना राम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 43/2023

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
मृतक गलबा पुत्र तुलछा फौत के कायम मुकाम 1. दलाराम पुत्र गलबा 2. भाणाराम पुत्र गलबा 3. शंकराराम पुत्र गलबा 4. पंखी पुत्री गलबा कौम मेगवाल (भांबी) निवासी चितलवाना तहसील चितलवाना जिला सांचौर		1. कुम्भा पुत्र जेहा 2. वियाराम पुत्र रामा जाति भील निवासी चितलवाना 3. भूराराम पुत्र छोगाराम 4. राणाराम पुत्र छोगाराम तहसील चितलवाना 5 मूंगा पुत्र हरदान 6. हीरा पुत्र हरदान जाति माली निवासी चितलवाना 7. भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना

<u>**दावा बाबत खातेदारी हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती करने**</u>
<u>**दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act एवं धारा 136 R.L.R Act**</u>

उपस्थित :–

1– वादीगण की ओर से वकील श्री भगवती प्रसाद बालौत।

2– प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार पुरोहित।

3– प्रतिवादी संख्या 7 एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक 03/11/2023

वादीगण की ओर से उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट व धारा 136 आर. एल.आर, का दिनांक 30.06.2023 को पेश होने पर बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद उपरोक्त धाराओ मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को जरीये सम्मन तलब किया गया वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके सरहद मौजा चितलवाना मे वादीगण के पिता गलबा पुत्र तुलछा के नाम से पुराना खेत खसरा नम्बर 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा भूमि आयी हुई है। व इसी प्रकार मौजा चितलवाना मे मृतवफी छोगा पुत्र नवा कौम माली व छोगा पुत्र त्रिकमा के नाम से पुराना खंसरा संख्या कमशः 686/2898 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा व खसरा संख्या 686/2897 रकबा 2 बीघा की आयी हुई है। तथा इसी प्रकार जेहा पुत्र सरूपा कौम भील के नाम से पुराना खसरा संख्या 686/2898/1 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा भूमि आयी हुई है। जेहा फौत होने पर नामान्तरकरण संख्या 1969 के जरिये कुभा, रामा पि0 जेहा के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 व रामा के वारीसान प्रतिवादी संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम पुराना खसरा संख्या 686/2896 रकबा 4 बीघा 14 बीस्वा की भूमि आई है।

वादीगण के पिता गलबा [illegible] खसरा संख्या 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा यानि 2.01 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, जि[illegible]04 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने से शेष रकबा 1.97 हैक्टर भू[illegible] गलबा का तत्पश्चात् वादीगण का लगातार काश्त कब्जा चला आ रहा है, प्रतिवादी [illegible] पिता छोगा का पुराना खसरा संख्या 686/2898 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा यानि [illegible] हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड [illegible] है, तथा खसरा संख्या 686/2897 रकबा 2 बीघा यानि [illegible] हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड [illegible] है, जिसमे से रकबा कमशः 0.02 हैक्टर + 0.01 हैक्टर जुमले रकबा 0.03 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने पर शेष भूमि रकबा कमशः 0.87 हैक्टर + 0.31 हैक्टर जुमले रकबा 1.18 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हकदार है, व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/दादा जेहा का पुराना खेत खसरा संख्या 686/2898/1 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

रकबा 0.89 हैक्टर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। जिसमे से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने पर शेष रकबा 0.87 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हकदार है, व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का पुराना खसरा संख्या 686/2896 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा यानि रकबा 0.76 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, जिसमे से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने पर शेष रकबा 0.74 हैक्टर भूमि के प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हकदार है।

उपरोक्त पुराना खेत खसरा संख्या 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा, खसरा संख्या 686/2898 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 686/2897 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 686/2898/1 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा, खसरा संख्या 686/2896 रकबा 4 बीघा 14 बीस्वा के नवीन खेत खसरा संख्या 207 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा संख्या 209 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 246 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा संख्या 248 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा संख्या 249 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा संख्या 250 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 252 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा संख्या 265 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा संख्या 266 रकबा 1.20 हैक्टर जुमले रकबा 4.76 हैक्टर नवसृजित हुये जो 30 बीघा 3 बीस्वा यानि 4.87 हैक्टर कुल रकबा पूर्व मे था, परन्तु रकबा 0.11 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने से शेष रकबा 4.76 हैक्टर भूमि शेष रही व इसी प्रकार प्रथम सेटलमेंट मे वादीगण के पिता गलबा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी भूमि अलग–अलग इन्द्राज है, जो पुरानी जमाबंदी मे साबित है, किन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो ने उनके क्षेत्राधिकार से परे जाकर कानून के विपरीत वादीगण के पिता गलबा व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता/दादा जेहा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता छोगा व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का नाम शामील इन्द्राज कर दिया तथा प्रत्येक का पुरानी जमाबंदी मे इन्द्राज हिस्सानुसार हिस्सा अंकित नही किया जबकि पर्चा लगान तैयार करते वक्त प्रत्येक का हिस्सा अलग–अलग दर्ज किया गया है, इस प्रकार द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारियो ने कानून से परे जाकर बिना हिस्सा दर्ज किये संयुक्त नाम दर्ज किया गया है, जो गलत है तथा ऐसा करने का उनको कतई विधिक अधिकार न तो था व न है, उक्त सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा शामील नाम दर्ज कर देने के कारण वादीगण के पिता गलबा का वर्तमान मे दर्ज खातेदारी अनुसार 1/5 हिस्सानुसार रकबा 0.952 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकी वादीगण के पिता का राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 1.97 हैक्टर की खातेदारी होने से रकबा 1.018 हैक्टर भूमि राजस्व रेकर्ड मे कम दर्ज कर दी गई है व वादीगण उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी से कम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का रकबा 0.87 हैक्टर भूमि के हकदार होने के बावजूद उनके खाते से प्रत्येक का 1/10– 1/10 हिस्सा न होते हुऐ दर्ज कर कुल रकबा 0.952 हैक्टर उनके खाते मे दर्ज कर दी यानि वादीगण के खाते मे से रकबा 0.082 हैक्टर भूमि कम करके उक्त रकबा 0.082 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई जो गलत है व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का रकबा 1.18 हैक्टर भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार हकदार होने के बावजूद द्वितीय सेटलमेन्ट विभाग द्वारा कानून से परे जाकर उनके खाते मे प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा दर्ज कर उनके खाता मे रकबा 1.904 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई इस प्रकार वादीगण के खाता मे से रकबा 0.724 हैक्टर भूमि कम दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खाते मे दर्ज कर दी गई व इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 जो पूर्व मे राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा 0.74 हैक्टर भूमि के हकदार होने के बावजूद उनके खाता मे प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा दर्ज कर कुल रकबा 0.952 हैक्टर भूमि उनके खाता मे दर्ज कर दी गई यानि वादीगण के खातेदारी की भूमि रकबा 0.210 हैक्टर भूमि कानून से परे जाकर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के खाते मे दर्ज कर दी गई जो गलत है, इस प्रकार वादीगण के हक की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाता मे से रकबा 0.082 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मे से रकबा 0.724 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के खाता मे से रकबा 0.[illegible] हैक्टर जुमले रकबा 1.081 हैक्टर भूमि कम कर उपरोक्तानुसार [illegible] खातेदारी हक पाने के अधिकारी है। अंत मे वादीगण ने अपनी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खाता मे भूमि कम कर जुमले रकबा 1.081 हैक्टर भूमि की खातेदारी पाने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार पुरोहित ने दिनांक 03.08.2023 को वकालातनामा व वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 7 को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने व बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

सहायक कलेक्टर चितलवाना जिला जालोर

तामील गैर हाजीर रहने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व दिनांक 31.08.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने इकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार करने पर अलग से तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नही होने से पत्रावली वादीगण शहादत मे ली गई। वादीगण की ओर से दिनांक 21.09.2023 को गवाह PW/1 वादी दलाराम की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर अपने ब्यान कलमबंद्व करवाये तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात EXP/1 से EXP/14 प्रदर्शित करवाये जाकर अपनी शहादत बंद करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश करनी नही चाही। जिस पर प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई।

मैने विद्ववान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस मे वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा चितलवाना मे वादीगण के पिता गलबा का पुराना खेत खसरा संख्या 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा यानि 2.01 हैक्टर का आया हुआ है, जिसमे से रकबा 0.04 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने के पश्चात् शेष रकबा 1.97 हैक्टर भूमि के वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी है। वादीगण के के खाता मे से रकबा 1.018 हैक्टर भूमि कम कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के खाता में दर्ज की गई भूमि भूमि की वादीगण खातेदारी पाने के अधिकारी होने से उपरोक्तानुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के खाता मे से कम की जाकर रकबा 1.018 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जावे।

मैने वकील वादीगण की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतो का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया प्रकरण मे विचारणीय बिन्दू निम्न है। '' आया वादीगण के पिता गलबा पुत्र तुलछा के नाम पूर्व मे खेत खसरा संख्या 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा यानि 2.01 हैक्टर दर्ज थी जिसमे से रकबा 0.04 हैक्टर भूमि बांध मे अवाप्त होने के पश्चात् वादीगण का शेष रकबा 1.97 हैक्टर भूमि के हकदार है। जिसे कम कर वादीगण के खाता मे मात्र रकबा 0. 952 हैक्टर दर्ज की गई, तथा शेष रकबा 1.018 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाता मे 0. 082 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खाता मे 0.724 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के खाता मे रकबा 0.210 हैक्टर यानि जुमले रकबा 0.082 + 0.724 + 0.210 = 1.016 हैक्टर अधिक दर्ज की गई जिसको पाने के वादीगण अधिकारी है।''

इस सम्बन्ध मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2037–2040 EXP/1 से लगातार EXP/5 जमाबंदी संवत् 2042–2045 EXP/6 से EXP/9 व मिलान क्षेत्रफल EXP/11 आधार जमाबंदी EXP/12 ls 13, जमाबंदी संवत् 2075–2078 EXP/14 को अवलोकन किया गया कि जमांदी संवत् 2037–2040 के खाता संख्या 172 मे गलबा पुत्र तुलछा भांबी के नाम खसरा संख्या 686 रकबा 12 बीघा 9 बीस्वा भूमि दर्ज है, इस प्रकार जमाबंदी EXP/2 मे खसरा संख्या 686/2898 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा छोगा वल्द नवा माली के नाम दर्ज है, व खसरा संख्या 686/2898/1 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा कुभा, रामा पि0 जेहा के नाम तथा खसरा संख्या 686/2896 रकबा 4 बीघा 14 बीस्वा मूंगा, हीरा पि0 हरदान के नाम खातेदारी दर्ज है, तथा 686/2897 रकबा 2 बीघा छोगा के नाम खातेदारी दर्ज है, उपरोक्त तमाम पुराना खसरा संख्या 686/2897 रकबा 2 बीघा छोगा के नाम खातेदारी दर्ज है, उपरोक्त तमाम पुराना खेत खसरा संख्या 686, 686/2898, 686/2898/1, 686/2896, 686/2897 से मिलान क्षेत्रफल EXP/11 के अवलोकन से पुराना खसरा संख्या से नवीन खसरा संख्या 207, 209, 246, 248, 249, 250, 252, 265, 266 नव[illegible] होना साबित है। वर्तमान जमाबंदी EXP/14 मे गलबा का 1/5 हिस्सा दर्ज है के अनुसार वादीगण के खात[illegible] 0.952 हैक्टर भूमि होना साबित है, परन्तु जमाबंदी संवत् 2037–20[illegible] मे [illegible] 12 बीघा 9 बीस्वा भूमि जो रकबा 2.01 हैक्टर दर्ज है, जिसमे [illegible] अवाप्त होने के पश्चात् शेष रकबा 1.97 हैक्टर भूमि वादीगण [illegible] परन्तु वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के हक मे मात्र रकबा 0.952 हैक्टर भूमि दर्ज है [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने वाद की स्वीकार किया गया है, तथा वादीगण की रकबा 1.016 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादीगण के खाता मे अधिक दर्ज होना स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। मौजा चितलवाना पटवार हल्का चितलवाना के नवीन खसरा संख्या 207 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा संख्या 209 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 246 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा संख्या 248 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा संख्या 249 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा संख्या 250 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 252 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा संख्या 265 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा संख्या 266 रकबा 1.20 हैक्टर जुमले रकबा 4.76 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से मे से रकबा 0.082 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से मे से रकबा 0.724 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हिस्से मे से रकबा 0.210 हैक्टर भूमि कम की जाकर उक्त आराजी जुमले रकबा 1.016 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के हक व हिस्से की भूमि मे उनके कब्जे काश्त मे न तो स्वयं दखलंदाजी करे व न ही किसी अन्य से करावे। उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

आदेश दिनांक 03/11/2023 को खुले न्यायालय मे निर्णीत कर सुनाया गया।

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना
सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure code , Appendix MDN-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर(उपखण्ड़ अधिकारी) मुकाम चितलवाना

इजलास – हनुमाना राम आर.ए.एस.

वादीगण		प्रतिवादीगण
मृतक गलबा पुत्र तुलछा फौत के कायम मुकाम 1. दलाराम पुत्र गलबा 2. भाणाराम पुत्र गलबा 3. शंकराराम पुत्र गलबा 4. पंखी पुत्री गलबा जाति मेघवाल निवासी चितलवाना तहसील चितलवाना जिला सांचौर	बनाम	1. कुम्भा पुत्र जेहा 2. वियाराम पुत्र रामा जाति भील निवासी चितलवाना 3. भूराराम पुत्र छोगाराम 4. राणाराम पुत्र छोगाराम 5. मूंगा पुत्र हरदान 6. हीरा पुत्र हरदान जाति माली निवासी रामपुरा तहसील चितलवाना 7. तहसीलदार चितलवाना

दावा बाबत खातेदारी हक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती करने

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act एवं धारा 136 R.L.R Act

राजस्व वाद संख्या– 43/2023

यह मुकदमा आज इनफिसाल कतई रू–ब–रू पक्षकारान व हाजरी वकील श्री भगवती प्रसाद बालौत् मिनजानिव मुदई प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री सुरेश कुमार पुरोहित मनजानिव मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि:– उपरोक्त विवेचनानुसार उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। मौजा चितलवाना पटवार हल्का चितलवाना के नवीन खसरा संख्या 207 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा संख्या 209 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 246 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा संख्या 248 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा संख्या 249 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा संख्या 250 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा संख्या 252 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा संख्या 265 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा संख्या 266 रकबा 1.20 हैक्टर जुमले रकबा 4.76 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से मे से रकबा 0.082 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हिस्से मे से रकबा 0.724 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हिस्से मे से रकबा 0.210 हैक्टर भूमि कम की जाकर उक्त आराजी जुमले रकबा 1.016 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित की जाती है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के हक व हिस्से की भूमि मे उनके कब्जे काश्त मे न तो स्वयं दखलदाजी करे व न ही किसी अन्य से करावे। उपरोक्तानुसार डिकी पर्चा जारी हो। मौजा चितलवाना मुवलिंग –बाबत– खर्चा इस मुकदमें में मय सुद व भरह – फीसद–सालान आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा करे।

वशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03/11/2023 को जारी की गई।

(हनुमाना राम RAS) चितलवाना
सहायक कलेक्टर चितलवाना

मोहर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दयलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अर्जी दावा	3	00	स्टाम्प वकालातनामा	2	00
स्टाम्प वकालातनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी	2	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना [illegible]		
महनताना वकील			खर्चा ग[illegible]		
खर्चा गवाहान			[illegible]		
फीस कमीश्नर			[illegible]		
बबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मौजाना			मौजाना		
	5	00		4	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.03.21 15:56:38 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

मोहर

(हनुमाना राम RAS)
सहायक कलेक्टर चितलवाना

सहायक कलेक्टर–चितलवाना
(उपखण्ड अधिकारी–चितलवाना)